संख्या–1967 / 9–आ1–2001–6–रिट / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 27 अप्रैल, 2001

विषय :–समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशक्त, जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–43 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को आवास, व्यवसाय, मनोरंजन, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केन्द्र तथा उद्योग केन्द्र आदि लगाने हेतु मान्यता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाये जाने की अपेक्षा की गई है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन कियागया था। उप समिति की संस्तुतियों के आधार पर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा लिए गये निर्णयों में एक निर्णय यह भी था कि विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि / भवन आवंटन करने के संबंध में योजना बनाकर कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में विचाराधीन याचिका संख्या–361 (एम.बी.) / 2000 राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ व अन्य बनाम उ. प्र. राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.1.2000 द्वारा राज्य सरकार को एक योजना तैयार करने के आदेश दिये गये थे। उक्त योजना को समुचित रूप से तैयार करने हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसकी संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गए हैं :–

(1) उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन / भूखण्डों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को 3% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा जो होरिजेन्टल प्रकृति का होगा। इस संबंध में शासनादेश संख्या–2680 / 9–आ–1–98–42 विविध / 96, दिनांक 31.8.1998 द्वारा पूर्व में ही विकलांग व्यक्तियों के लिये 1% का वर्टिकल आरक्षण एवं 3% का होरिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। तद्नुसार उक्त शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

(2) दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्लू.एस.) एवं अल्प आय वर्ग (एल.आई.जी.) के सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को भवन / भूखण्ड के मूल्य में 10% एवं गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20% की रियायत प्रदान की जायेगी। दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के वर्गीकरण हेतु आमदनी की सीमा सामान्य से 1.5 गुना होगी। अर्थात यदि दुर्बल आय वर्ग की सामान्य आय सीमा रु. 1200 / – प्रतिमाह है तो इस प्रयोजन हेतु वह सीमा रु. 1800 / – प्रतिमाह होगी।

(3) निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा–43 में विकलांगों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को निमनिलिखि प्रयोजनों हेतु रियायती दर पर भूमि के आवंटन की अपेक्षा की गई है :

(i) व्यापार / उद्योग की स्थापना।

(ii) विशेष मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना।

(iii) विशेष विद्यालयों / पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना।

(iv) अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना।